

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/ 1208 /

जबलपुर, दिनांक 24 / 3 / 2022

दो-14-77/21

श्रीमती रानी यादव, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को दिनांक 20.12.2021 से 23.12.2021 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24.12.2021 से 21.01.2022 तक 29 दिन का गर्भपात अवकाश (Abortion leave) स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -
(कृष्णमूर्ति मिश्र)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/ 1209 /

जबलपुर, दिनांक 24 / 3 / 2022


दो-14-77/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 518/स्था. ग्वालियर, दिनांक 05.02.2022 के संदर्भ में श्रीमती रानी यादव, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट खण्डपीठ ग्वालियर का आवेदन पत्र, कर्तव्य पर उपस्थित आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा पेपर्स एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

2. असि. रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन मिश्र)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
H
